1

<u>न्यायालयः—अमनदीपसिंह छाबडा,</u> <u>व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.</u>

<u>व्य.वाद क 300061ए / 2016</u> संस्थित दिनांक 14.09.2016 फा.नंबर—3003502016

अब्दुल हनीफ उम्र—56 वर्ष पिता स्व0 अब्दुल हफीज, जाति मुसलमान, निवासी भिमजोरी तहसील बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र)वादी

ः विरुद्धः

- 1.हसीना बी उम्र—60 वर्ष पिता स्व0 अब्दुल हफीज, जाति मुसलमान, निवासी भिमजोरी तहसील बिरसा जिला बालाघाट।
- 2.हकीम खां उम्र—35 वर्ष पिता स्व0 शेख हमीद खां जाति मुसलमान,
- 3.शकील खां उम्र—33 वर्ष पिता स्व0 शेख हमीद खां, जाति मुसलमान,
- 4.अकील खां उम्र—29 वर्ष पिता स्व० शेख हमीद खां, जाति मुसलमान, तीनों निवासी बालाघाट बैहर चौकी रेलवे कासिंग के पास, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र)
- 5.श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाट

.....प्रतिवादीगण

ः <u>निर्णय</u>ः (<u>दिनांक 08.12.2017 को घोषित</u>)

- **01.** वादी द्वारा यह वाद वादग्रस्त भूमि के स्वत्व घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा तथा अंश निर्धारण कर भूमि का बंटवारा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 02. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा खानदानी सिजरा तथा वादग्रस्त भूमि स्व0 अब्दुल हफीज की खानदानी भूमि होना स्वीकृत किया है।
- 03. वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 सुन्नी इस्लाम धर्म के अनुयायी होकर उपरोक्त पते पर निवासरत है। मूल पुरूष स्व0 अब्दुल हफीज थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा स्व0 अब्दुल हफीज की दो पित्नयाँ थी, जिनका नाम स्व0 आमना बी एवं स्व0 हाजरा बी थी, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। स्व0 अब्दुल हफीज को उनकी पित्न स्व0 हाजरा बी से तीन औलाद उत्पन्न हुई थी, जो स्वयं वादी तथा दो पुत्रियाँ प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं स्व0 जमीला बी थी। स्व0 अब्दुल हफीज की पहली पित्न स्व0 आमना बी लाऔलाद फौत हुई। जमीला बी तथा उनके पित शेख हमीद भी फौत हो चुके हैं, जिनकी संतान प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 एवं 04 है।
- 04. मूल पुरूष स्व0 अब्दुल हफीज की खानदानी भूमि जो वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 41/6 रकबा 2.24 एकड़ मौजा भिमजोरी, प.ह.नं.43, रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट में स्थित है। वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 सुन्नी इस्लाम धर्म के अनुयायी है, जिन्हें इस्लाम धर्म के सुन्नी

उत्तराधिकार लागू होती है। स्व० अब्दुल हफीज का एक पुत्र वादी एवं दो पुत्री प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 एवं 04 की मॉ स्व0 जमीला बी थी। स्व0 हफीज खां की उक्त संपत्ति पर एक पुत्र एवं दो पुत्रियों को सुन्नी उत्तराधिकार विधि अनुसार उन्हें उक्त संपत्ति प्राप्त हुई। वादग्रस्त भूमि पर मूल पुरूष स्व0 अब्दुल हफीज का एक पुत्र वादी है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का अंश 2/4 तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 पुत्री है, जिससे उसका 1/4 एवं एक पुत्री स्व0 जमीला बी थी, जिसका 1/4 का है और प्रतिवादी कुमांक 02, 03 एवं 04 अपनी माँ स्व0 जमीला बी के उत्तराधिकारी होने से उनका 1/4 अंश है। प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं स्व0 जमीला बी का विवाह होने से वह अपने-अपने ससुराल में निवास करने लगे और वादग्रस्त भूमि पर वादी का एकमात्र काश्त कब्जा चला आया। पूर्व में स्व0 अब्दुल हफीज के भाईयों द्वारा खानदानी भूमि वादग्रस्त भूमि संहित भूमि के आधार पर व्यवहार वाद चलाया गया, जिसमें वादी द्वारा अपना बचाव कर अत्यधिक राशि व्यय की गई तथा वादग्रस्त भूमि के मेढ़ एवं पार-धुरे सुधार कर उसे उपजाऊ बनाये रखा गया और भूमि का भू-राजस्व वर्तमान तक वादी द्वारा अदा किया जाकर उक्त भूमि के काश्त एवं कब्जे में चले आ रहा है।

- 05. प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि का बंटवारा प्राप्त करने हेतु राजस्व न्यायालय तहसीलदार बिरसा के न्यायालय में राजस्व प्रकरण क्रमांक 43—2015—16 प्रस्तुत किया, जिसमें वादी द्वारा उनके कहे अनुसार बंटवारा किये जाने पर आपित्त ली गई, परंतु राजस्व न्यायालय तहसीलदार बिरसा के न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2015 को विधि विपरीत रूप से आदेश पारित कर वादी को 0.75 डिसमिल, प्रतिवादी क्रमांक 01 को 0.741/4 डिसमिल एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 से 04 को 0.74^{1/4} डिसमिल भूमि बंटवारे में दिये जाने का आदेश पारित किया गया, जबिक उक्त भूमि पर वादी का 2/4 अंश अर्थात् 1.12 एकड़ भूमि, प्रतिवादी क्रमांक 01 का अंश 1/4 अर्थात् 0.56 डिसमिल एवं प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 एवं 04 का अंश 1/4 अर्थात् 0.56 डिसमिल का है और उक्त अनुसार बंटवारा किया जाना था, परंतु ऐसा न कर विधिक त्रुटि की गई है, जो उक्त आदेश वादी पर बंधनकारक न होकर प्रभावशून्य किये जाने योग्य है।
- 06. राजस्व न्यायालय के उक्त विधि विपरीत आदेश के अनुसार प्रतिवादी कमांक 01 से 04 द्वारा वादी के हक को नष्ट करने की नियत से उक्त आदेश अनुसार भूमि के राजस्व प्रलेखों पर अपना नाम अलग—अलग दर्ज करवाकर आनन—फानन में उक्त आदेश अनुसार प्राप्त भूमि 0.74^{1/4} डिसमिल एवं 0.74^{1/4} डिसमिल भूमि को बिक्री किया जा रहा है, जिन्हें वादी द्वारा दिनांक 07.09.2016 को मना किया गया, तो वह नहीं माने और भूमि बिक्री कर देंगे, उसे जो करना है कर लो की धमकी देने लगे। उक्त भूमि प्रतिवादी कमांक 01 से 04 द्वारा बिक्री कर दिया जाता है तो वादी को अपने अंश से बेदखल होना पड़ेगा, जिसकी भरपाई संभव नहीं है।

- वाद कारण दिनांक 08.12.2015 को तब उत्पन्न हुआ, जब 07. न्यायालय तहसीलदार बिरसा द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक राजस्व 43-27 / 2015-16 को विधि-विरूद्ध बंटवारा आदेश पारित किया गया एवं दिनांक 07.09.2016 को प्रतिवादी कमांक 01 से 04 द्वारा उक्त आदेश के आधार पर भूमि को बिकी करने की धमकी दी गई। वादी तहसीलदार बिरसा के न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 43-27 / 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2015 को विधि–विरुद्ध होकर वादी पर बंधनकारी न होने की घोषणा हेतु दावा कीमती 1000 / — रुपये तथा उक्त विधि विरूद्ध आदेश के अनुसार प्राप्त भूमि को प्रतिवादी कुमांक 01 से 04 को अपने अंश 1/4 से अधिक भूमि को बिकी करने से स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा रोके जाने हेतु दावा कीमती 1,000 / - रुपये तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 41 / 6 रकबा 2. 24 एकड / 0.906 हेक्टेयर पर वादी का अंश 2 / 4 अर्थात 1.12 एकड भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 का अंश 1/4 अर्थात 0.56 डिसमिल एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 से 04 का अंश 1/4 अर्थात 0.56 डिसमिल का है, के संबंध में घोषणा हेत् दावा कीमती 1,000 / – रुपये तथा भूमि का बंटवारा किये जाने हेतू वांछित न्याय शुल्क चस्पा किया गया है।
- ्रितः वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 41∕6 रकबा 2.24 एकड़∕o. 08. 906 हेक्टेयर भूमिस्वामी हक की भूमि प.ह.नं.43, रा.नि.मं. बिरसा जिला बालाघाट पर वादी का अंश 2/4, प्रतिवादी क्रमांक 01 का अंश 1/4 एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 से 04 का अंश 1/4 होने, तहसीलदार बिरसा के न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक ४अ–२७ / २०१५–१६ में पारित आदेश दिनांक 08.12.2016 विधि विरूद्ध होने से वादी पर बंधनकारी न होने घोषणा, तहसीलदार बिरसा के न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 43-27 / 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2016 के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 41/6 में से प्रतिवादी कमांक 01 को उसके अंश 1/4 एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 से 04 के अंश 1/4 से अधिक भूमि को बिक्री करने से स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किये जाने तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 41/6 रकबा 2.24 एकड़/0.906 हेक्टेयर भूमिस्वामी हक की भूमि प.ह.नं. 43, रा.नि.मं. बिरसा जिला बालाघाट पर वादी का अंश 2/4, प्रतिवादी क्रमांक 01 का अंश 1/4 एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 से 04 का अंश 1/4 के अनुसार बंटवारा किया जाकर पृथक-पृथक राजस्व प्रलेखों में नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किये जाने हेत् यह वाद प्रस्तृत किया गया है।
- 09. पक्षकारों की पहचान तथा वादग्रस्त भूमि के स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त, वादी के अभिवचनों का प्रत्याख्यान कर अपने जवाबदावे में प्रतिवादीगण ने यह व्यक्त किया है कि वादग्रस्त भूमि मूल खसरा नंबर 41/6 रकबा 2.24 एकड़ भूमि का विभाजन संबंधित न्यायालय तहसीलदार बिरसा द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 43/27 वर्ष 2015—16 में पटवारी हल्का नंबर 43 मौजा भिमजोरी, रा.नि.मं. बिरसा जिला बालाघाट स्थित भूमि का विभाजन दिनांक 08.12.2015 को उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते

4

हुए बंटवारा आदेश पारित कर दिया गया है, इसिलये वादी पर बंधनकारक है, जिसमें से खसरा नंबर 41/6 में से 0.75 डिसिमिल भूमि वादी पक्ष को प्रदान की गई है तथा 41/6 में से $0.74^{1/2}$ डिसिमिल भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 को बंटवारे में प्राप्त हुई।

- 10. तहसीलदार बिरसा द्वारा कानून का पालन करते हुए बराबर—बराबर हिस्सा बंटवारा उभयपक्ष के बीच किया गया है, जिसे निरस्त करवाने का अधिकारी वादी नहीं है। तहसीलदार द्वारा किये गये बंटवारे के अनुसार राजस्व अभिलेख दुरूस्त होकर विधिवत सीमांकन कराकर प्रतिवादीगण अपने—अपने हिस्से में मालिक काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि तथा अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। वादी द्वारा बिना किसी कारण के लोगों के बहकावे में आकर प्रतिवादीगण के विरुद्ध उनकी भूमि हड़पने की नियत से यह झूठा वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसे निरस्त किया जावे।
- 11. उभयपक्ष के अभिवचनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है, जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

4	A \	
क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादग्रस्त संपत्ति खसरा नंबर 41/6	
	रकबा २.२४ एकड़ / ०.९०६ हेक्टेयर प.ह.नं.	प्रमाणित
	43, रा.नि.मं. बिरसा जिला बालाघाट वादी	
	के स्वामित्व की है ?	
2.	क्या वादी वादग्रस्त संपत्ति के 2/4 अंश	प्रमाणित
	अर्थात् 1.12 एकड़ का अधिकारी है ?	
3.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त संपत्ति के	प्रमाणित नहीं
	विक्रय का प्रयत्न किया जा रहा है ?	
4.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय कंडिका
		क्रमांक—19 के अनुसार
		अंशतः प्रमाणित।

विवाद्यक प्रश्न कमांक-01 का निष्कर्ष

12. वादपत्र के अभिवचनों का समर्थन कर वादी अब्दुल हनीफ वा.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि मूल पुरूष स्व0 अब्दुल हफीज की खानदानी भूमि है, जिनकी दो पितनयाँ स्व0 आमना बी एवं स्व0 हाजरा बी थी। आमना बी ला—औलाद फौत हुई, जबकि स्व0 हाजरा बी से स्व0 अब्दुल हफीज को तीन औलादें उत्पन्न हुई, जिसमें से पुत्र वह स्वयं है तथा दो पुत्रियाँ प्रतिवादी कमांक 01 व स्व0 जमीला बी है। स्व0 जमीला बी के पित स्व0 शेख हमीद थे, जिनसे उत्पन्न हुए पुत्र प्रतिवादी

क्रमांक 02 से 04 है। उभयपक्ष सुन्नी इस्लाम धर्म के अनुयायी है, जिन पर सुन्नी उत्तराधिकार विधि लागू होती है। जिस हेतु वह वादग्रस्त भूमि का 2/4 अंश तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 1/4 अंश तथा स्व0 जमीला बी के वारिस प्रतिवादी क्रमांक 02 से 04 अपनी मॉ के 1/4 अंश के अधिकारी है। हसीना बी व जमीला बी विवाद के पश्चात अपने ससुराल में निवास करने लगी तथा वादग्रस्त भूमि पर वादी का अकेले काश्त कब्जा चले आया।

- 13. वादी अब्दुल हनीफ वा.सा.01 के अनुसार पूर्व में स्व0 अब्दुल हफीज के भाईयों द्वारा उक्त भूमि पर व्यवहार वाद चलाया गया, जिसमें उसके द्वारा अत्यधिक राशि व्यय कर बचाव किया गया तथा भूमि पर सुधार कर उसे उपजाऊ बनाये रखा गया और भू—राजस्व अदा किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि के बंटवारा हेतु तहसीलदार बिरसा के न्यायालय में राजस्व प्रकरण क्रमांक 43—27 वर्ष 2015—16 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसकी आपत्ति के बावजूद न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2015 को विधि—विरूद्ध आदेश पारित कर समान बंटवारा कर उभयपक्ष को 75 डिसमिल भूमि दिये जाने का आदेश पारित कर दिया गया, जबिक वह 2/4 अंश अर्थात् 1.12 एकड़ भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।
- 14. वादी अब्दुल हनीफ वा.सा.01 के अनुसार उक्त आदेश के उपरांत प्रतिवादीगण द्वारा उसके हक को नष्ट करने की गरज से राजस्व प्रलेखों में अपना नाम अलग दर्ज करवाकर आनन—फानन में विक्रय किया जा रहा है। उसके द्वारा दिनांक 07.09.2016 को मना करने पर प्रतिवादीगण द्वारा भूमि विक्रय की धमकी दी गई, जिसमें सफल होने पर उसे अपने अंश से बेदखल होना पड़ेगा, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। फलतः वादग्रस्त भूमि पर उसके अंश का निर्धारण कर बंटवारा किये जाने तथा प्रतिवादीगण को विक्रय से निषेधित किये जाने हेतु उसने वर्तमान वाद प्रस्तुत किया है। उसने वाद के समर्थन में वादग्रस्त भूमि का खसरा प्र.पी.01, नक्शा प्र.पी.02, तहसीलदार बिरसा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 43—27 वर्ष 2015—16 को पारित आदेश दिनांक 08.12.2015 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.03 प्रस्तुत की है।
- 15. वादी के कथनों का खंडन कर प्रतिवादी शेख अकील प्र.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि उसके नाना अब्दुल हफीज की बनाई हुई भूमि थी, जिस पर उभयपक्ष का बराबर का हक होने के कारण हसीना बी द्वारा तहसीलदार बिरसा के न्यायालय में बंटवारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तथा उभयपक्ष को लगभग 75 डिसमिल भूमि शामिल—शरीक हक में से खानदानी हक के आधार पर दी गई, जिसके पश्चात से सभी अपने हक, हिस्से में काबिज है। वादी वादग्रस्त भूमि में 2/4 अंश का अधिकारी नहीं है तथा तहसीलदार बिरसा द्वारा सही बंटवारा किया गया है। अतः वर्तमान वाद सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त कथनों का समर्थन बिनयामीन खान प्र.सा.02 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किया है।

- 16. प्रकरण में यह स्वीकृत है कि उभयपक्ष सुन्नी इस्लाम धर्म के अनुयायी है तथा वादग्रस्त संपत्ति स्व0 अब्दुल हफीज की संपत्ति है, जिस पर उभयपक्ष को बंटवारे के पश्चात पृथक—पृथक अधिकार प्राप्त हुआ है। मुख्य विवाद सुन्नी उत्तराधिकार विधि को लेकर है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर उभयपक्ष का समान अधिकार है। चूँकि प्रतिवादीगण द्वारा यह स्वीकृत किया गया है कि उभयपक्ष सुन्नी इस्लाम विधि से शासित होते हैं, इसलिये उक्त तथ्य को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था कि वह यह दर्शित करे कि उनकी उत्तराधिकारी विधि के अनुसार उन्हें वादग्रस्त भूमि पर समान अधिकार प्राप्त होता है, परंतु वह तत्संबंध में पूर्णतः मौन है। मात्र मौखिक औपचारिक कथन कर देने से ऐसी कोई उपधारणा नहीं की जा सकती कि उन्हें वादग्रस्त भूमि पर समान अधिकार प्राप्त है।
- 17. सुन्नी उत्तराधिकार विधि के अनुसार यह स्थापित सिद्धांत है कि पुत्र और पुत्री दोनों के होने पर पुत्री हिस्सेदार की हैसियत से उत्तराधिकार प्राप्त नहीं करती है, वरन् वह अविशष्टग्राही हो जाती है और पुत्र का आधा भाग प्राप्त करती है। प्रकरण में खानदानी सिजरा अविवादित है, जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त संपत्ति स्व0 अब्दुल हफीज की थी, जिनकी द्वितीय पित्त से एक मात्र पुत्र वादी तथा दो पुत्रियाँ थी, जबिक प्रथम पित्त ला—औलाद फौत हुई। ऐसी स्थिति में सुन्नी उत्तराधिकार विधि के अनुसार वादी के होने के कारण पुत्रियाँ हिस्सेदार के रूप में उत्तराधिकार नहीं प्राप्त कर सकती, अपितु उन्हें वादी का आधा अधिकार प्राप्त होगा। फलतः साक्ष्य के पूर्णतः अभाव में किसी विधि—विरूद्ध तथ्य की उपधारणा नहीं की जा सकती। तहसीलदार न्यायालय, बिरसा द्वारा बंटवारा आदेश दिनांक 08.12.2015 में सुन्नी उत्तराधिकार विधि के स्थापित सिद्धांतों की अपेक्षा कर समान बंटवारा कर दिया गया है, जो उचित नहीं है। फलतः विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का निष्कर्ष प्रमाणित के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न कमांक-03 का निष्कर्ष:-

18. संपूर्ण प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के विक्रय के संबंध में कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। वादी अब्दुल हनीफ वा.सा.01 द्वारा विक्रय के संबंध में मात्र मौखिक औपचारिक कथन कर दिये गये है, जिसकी पुष्टि हेतु साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। यद्यपि स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वास्तविक क्षति का होना आवश्यक नहीं है, तथापि साक्ष्य के पूर्णतः अभाव में काल्पनिक आधारों पर अनुतोष प्रदान नहीं किये जा सकते। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के विक्रय के संबंध में लेश मात्र भी तथ्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में ऐसी कोई विपरीत उपधारणा नहीं की जा सकती। फलतः विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न कमांक 04 का निष्कर्ष:-सहायता एवं व्यय:-

- उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी अपना वाद अंशतः प्रमाणित करने में सफल रहा है, जिसे निर्देशित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में संशोधन करने तथा अपने अंश अनुसार पृथक आधिपत्य प्राप्त करने हेतु सक्षम राजस्व न्यायालय में कार्यवाही करे। फलतः वाद में निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है कि:-
 - (अ) यह घोषित किया जाता है कि वादी को वादग्रस्त संपत्ति 41/6 रकबा 2.24 एकड़ / 0.906 हेक्टेयर प.ह.नं.43, रा.नि.मं. बिरसा जिला बालाघाट के 2/4 अंश पर स्वत्व प्राप्त है।
 - (ब) वाद व्यय प्रतिवादीगण द्वारा वहन किया जावेगा।
 - (स) अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा तालिका अनुसार जो कम हो वाद व्यय में जोड़ी जावे।

तद्नुसार उक्त आशय की आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

सही / – (अमनदीप सिंह छाबडा) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

